

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर जिल्ला)

राजकुमार वर्मा बनाम नारायणलाल वर्मा

मुकदमा संख्या/वर्ष : नया नं- 79/24 / 20  
पुस्तक अ/22

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	18/11/2024	<p>यथावली पैसा हुई। वकील शर्मा द्वारा वकील अलायन किया है। लगातार 4 द्वारा पत्रों का भेजा जा रहा है। आज जवाब पैसा नहीं हुआ है। आज न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं, वकील आगे लगे रहने के उपरान्त लगे रहने आगे पर जवाब बैंक किया जाता है। वकील शर्मा द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी जाकर यथावली का व्यवहार किया गया। प्रस्तुत बहस व यथावली में दस्तावेज पर मजबूत किया गया। प्रस्तुत बहस एवं यथावली के मजबूत बहस एवं यथावली के आधार पर शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा-पत्र (नं-2) का कारण आदेश विवेचन में जारी स्थान आदेश दिनांक 03/03/2022 को काम (पुष्ट) किया जाता है जो कि मूल पत्र के अंतिम विस्तारण तक प्रभावी होगा। यथावली केवल कुमार होकर बाद तकमिल काबिल कपूर है। निर्णय सुने न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।</p>	
		<p><i>(Signature)</i>                      सहायक कलेक्टर                      सांभर लेक (जयपुर)</p>	